न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/256/2015 दायर दिनांक 02.11.2015

उनवान

1. शंकरलाल पिता मोहनलाल ब्राह्मण (गौड़) आयु वयस्क निवासी सरोपा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. मदनलाल पिता मोहनलाल ब्राह्मण (गौड़) आयु वयस्क निवासी सरोपा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. सुशीला देवी बेवा कन्हैयालाल ब्राह्मण (गौड़), आयु वयस्क निवासी सरोपा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. मोहनबाई बेवा मोहनलाल ब्राह्मण (गौड़), आयु वयस्क निवासी सरोपा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

— वादीगण

बनाम

1. अम्बालाल पिता मोहनलाल ब्राह्मण (गौड़), आयु वयस्क निवासी सरोपा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. विष्णुशंकर पिता मोहनलाल ब्राह्मण (गौड़), आयु वयस्क निवासी सरोपा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. देवीलाल मुतबन्ना चतरभुज ब्राह्मण (गौड़) आयु वयस्क निवासी सरोपा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. पटवारी पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. तहसीलदार एवं उपपंजीयक कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 05.07.2023

—:निर्णयः—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1,2 जा0दी0 सपठित धारा 88—89 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि ग्राम सरोपा पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी संख्या 76 रकबा 1.41 हैक्टयर, आराजी संख्या 77 रकबा 0.46 हैक्टयर, आराजी संख्या 86 रकबा 0.55 हैक्टयर, आराजी संख्या 87 रकबा 0.35 हैक्टयर, आराजी संख्या 88 रकबा 0.29 हैक्टयर, आराजी संख्या 89 रकबा 1.12 हैक्टयर, आराजी संख्या 90 रकबा 0.17 हैक्टयर, आराजी संख्या 91 रकबा 1.45 हैक्टयर, आराजी संख्या 249 रकबा 0.69 हैक्टयर, आराजी संख्या 250 रकबा 0.26 हैक्टयर, आराजी संख्या 253 रकबा 0.71 हैक्टयर, आराजी संख्या 1200/76 रकबा 0.10 हैक्टयर, आराजी संख्या 1220/76 रकबा 0.50 हैक्टयर, कुल किता 13 कुल रकबा 8.06 हैक्टयर स्थित है, जिसके साबिक आराजी संख्या 67 रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 77 रकबा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 88 रकबा 2 बी[illegible] बिस्वा, आराजी संख्या 79 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 80 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 81 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 82 रकबा 10 बिस्वा आराजी संख्या 205 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 37 बीघा 6 बिस्वा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:45:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि हम वादीगण के पिता मोहनलाल पिता चमनलाल जी की मृत्यु होने के पश्चात जो नामान्तरण दिनांक 27.08.1982 नामान्तरण संख्या 165 में हम वादीगण को विधिक वारीस अंकित करके नामान्तरण फैसल किया है, लेकिन संवत् 2038 से 2041 की साबिक जमाबन्दी में नामान्तरण संख्या 165 दिनांक 27.08.1982 से खाता विरासत से अम्बालाल, विष्णुशंकर वगैरा के नाम नामान्तरण का नोट लगाया गया है वह नामान्तरण फैसल अनुसार नहीं होकर गलत दर्ज किया गया है तथा इसके पश्चात ही सारी नियमित जमाबन्दीयों में नामान्तरण संख्या 165 दिनांक 27.08.1982 में सजरे के अनुसार जो हम वादीगण विरासती विधिक उत्तराधिकारी है का अंकन नहीं किया गया है जो कि गलत है एवं मौके पर नामान्तरण संख्या 165 दिनांक 27.08.1982 के फैसल हक हिस्से के अनुसार हम वादीगण अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है इस कारण से कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात को हम वादीगण हक हिस्से अनुसार खातेदारी की घोषणा किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार आवश्यक है एवं ऐसा नहीं करने से हम वादीगण को अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना बन गई है। क्योंकि प्रतिवादीगण मौके का फायदा उठाकर बह बक्षीश, गिरवी, विक्रय कर सकते है, जिसका नुकसान रूपयों में नहीं आंका जा सकता है तथा हम वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 20.06.2015 को कहा कि कॉलम संख्या 1 में वर्णित मौरूसी आराजीयात को हमारे हक हिस्से अनुसार न्यायालय कपासन में आकर खातेदारी करवा दो तो प्रतिवादीगणों ने ऐसा करने से मना कर दिया है। दिनांक 20.06.2015 को प्रतिवादीगणों के द्वारा मना करने से वाद कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 3 संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से आवश्यक पक्षकार है जिससे कोई दाद नहीं चाही गई है।

अन्त में प्रार्थना की कि –

– हम वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की डिक्री फरमाई जावें कि कॉलम संख्या 1 में वर्णित मौरूसी आराजीयात को दिनांक 27.08.1982 के नामान्तरण संख्या 165 में अंकित विधिक उत्तराधिकारीयों के अनुसार हम वादीगण का नाम खातेदारी दर्ज करने की घोषणा की जावें।

– प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि उक्त वाद फैसल नहीं होने तक कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात को बह बक्षीश, रहन, विक्रय आदि नहीं करें।

– अन्य कोई मुफिद दाद जो वादीगण हो प्रतिवादीगण से दिलाई जावे। हर्जा–खर्चा, वकील मेहनताना प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से दिनांक 22.02.2017 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। व दिनांक 10.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। साक्ष्यवादी में वादी मदनलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत। वादी मदनलाल ने वाद पत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये जो प्रदर्श–1 नामान्तरकरण, प्रदर्श–2 साबिक जमाबन्दी, प्रदर्श–3,4,5,6,7 क्रमशः मिलान शीट, प्रदर्श–8, 9, 10, 11, 12 साबिक जमाबन्दी, प्रदर्श–13, 14 हाल जमाबन्दी है।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। प्रदर्श–1 नामान्तरकरण संख्या 165 ग्राम सरो[illegible] है कि मृत्तक मोहनलाल पिता चमनलाल ब्राहम्ण के वारिसान विष्णुशंकर, अम्बाल[illegible]लाल, शंकरलाल पिता मोहनलाल, सुशिला देवी बेवा कन्हैयालाल, मो[illegible] नामान्तरण खोला गया। उक्त नामान्तरण का इन्द्राज साबिक जमाबन्दी प्रदर्श–2 में खाता विरासत से अम्बालाल, विष्णुशंकर वगैरह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। तत्पश्चात् रोटेशन साबिक जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:45:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रदर्श–8 2050–51 में जमाबन्दी में अम्बालाल, विष्णुशंकर पिता मोहनलाल का नाम अंकित है व शेष वारिसान का नाम अंकित नहीं है। हमने हाल, साबिक जमाबन्दी, मिलान शीट व नामान्तरकरण का अवलोकन किया। नामान्तरकरण अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि मृत्तक मोहनलाल पिता चमनलाल के विरासत इन्तकाल 165 दिनांक 27.08.1982 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नामान्तरण फैसल हुआ। उक्त नामान्तरकरण का जमाबन्दी में अमल दरामद के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम ही सहवन से अंकित रह जाना साबिक जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा सरोपा पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी संख्या 76 रकबा 1.41 हैक्टयर, आराजी संख्या 77 रकबा 0.46 हैक्टयर, आराजी संख्या 86 रकबा 0.55 हैक्टयर, आराजी संख्या 87 रकबा 0.35 हैक्टयर, आराजी संख्या 88 रकबा 0.29 हैक्टयर, आराजी संख्या 89 रकबा 1.12 हैक्टयर, आराजी संख्या 90 रकबा 0.17 हैक्टयर, आराजी संख्या 91 रकबा 1.45 हैक्टयर, आराजी संख्या 249 रकबा 0.69 हैक्टयर, आराजी संख्या 250 रकबा 0.26 हैक्टयर, आराजी संख्या 253 रकबा 0.71 हैक्टयर, आराजी संख्या 1200/76 रकबा 0.10 हैक्टयर, आराजी संख्या 1220/76 रकबा 0.50 हैक्टयर, कुल किता 13 कुल रकबा 8.06 हैक्टयर में दर्ज विष्णुशंकर पिता मोहनलाल 1/4, अम्बालाल पिता मोहनलाल 1/4 के बजाय अम्बालाल, विष्णुशंकर, मदनलाल, शंकरलाल पिता मोहनलाल, सुशिलादेवी बेवा कन्हैयालाल, मोहन बाई बेवा मोहनलाल हिस्सा प्रत्येक 1/12 जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष व रहन बदस्तुर रहे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:45:49 IST
Reason: SelfAttested